अत्यावश्यक
पंचायत आम निर्वाचन,
2026

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संचिका सं0–प.नि. 30–110/2021 ~~57~~ 58
प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा(भा.प्र.से.)
सचिव।
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
बक्सर, नालन्दा, शिवहर, पश्चिम चम्पारण,
सहरसा, नवादा, जमुई, लखीसराय, दरभंगा, मुंगेर, मधुबनी,
पटना, सारण, औरंगाबाद, पुर्वी चम्पारण एवं सिवान।

पटना, दिनांक– 3/1/2026

विषय– **नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा अधिसूचित नवगठित/उत्क्रमित/क्षेत्र विस्तार हुए नगर निकायों के फलस्वरूप पंचायतों की स्थिति संबंधित प्रतिवेदन का प्रेषण के संबंध में।।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा कतिपय ग्राम पंचायत के क्षेत्रों को शामिल करते हुए नवगठित/उत्क्रमित/क्षेत्र विस्तार कर नगर निकाय अधिसूचित किये गये हैं। पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के पूर्व अधिसूचित नगर निकायों के पश्चात अवशेष पंचायत के पुनर्गठन का कार्य किया जा चुका है। पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के बाद अधिसूचित किये गए नगर निकाय की सूची पत्र के साथ संलग्न है जिनका पुनर्गठन किया जाना है।

ज्ञातव्य हो कि पंचायतों के पुनर्गठन एवं नामकरण के संदर्भ में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–758, दिनांक–03.02.2021 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गए हैं (पत्र की प्रति संलग्न)। उक्त निदेश के आलोक में पंचायतों की स्थिति में निम्न परिवर्तन हो सकते हैं:–

1. ग्राम पंचायत जो पूर्ण रूप से नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं
2. ग्राम पंचायत जो आंशिक रूप से नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं, किन्तु पंचायत शेष क्षेत्र के साथ अस्तित्व में बना रहेगा।
3. ग्राम पंचायत जो आंशिक रूप से नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं तथा उस पंचायत के शेष भाग किसी अन्य पंचायत में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि सभी नवगठित/उत्क्रमित/क्षेत्र विस्तार नगर निकाय के गठन के फलस्वरूप ग्राम पंचायत विशेष में उपर्युक्त तीनों स्थिति में से कोई एक स्थिति अवश्य उत्पन्न हुई होगी, किन्तु प्रखंड/जिला में तीनों स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रत्येक नवगठित/उत्क्रमित/क्षेत्र विस्तार नगर निकायवार पंचायतों की स्थिति के संबंध में प्रपत्र संलग्न किये गये हैं, जिसमें सभी सूचनाए अंकित किया जाना आवश्यक है।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847| E-mail: secbihar@gmail.com

विदित हो कि आगामी पंचायत आम निर्वाचन, 2026 कराये जाने हेतु सभी ग्राम पंचायत क्षेत्रों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता सूची की तैयारी एवं मूल तथा सहायक मतदान केन्द्र का स्थापना किया जाना है। नगर निकाय अधिसूचित होने के फलस्वरूप नगर निकाय में शामिल क्षेत्र को छोड़कर शेष पंचायत क्षेत्रों में आगामी पंचायत आम निर्वाचन, 2026 सम्पन्न कराये जायेगे। उक्त स्थिति में अधिसूचित नगर निकायों के उपरांत अवशेष क्षेत्रों का पुनर्गठन करते हुए विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन सभी संबंधित जिलों से प्राप्त किया अपेक्षित है।

प्रत्येक स्थिति में संलग्न प्रपत्र पर नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के जिस आदेश से नगर निकाय नवगठित/उत्क्रमित/क्षेत्र विस्तार किये गये हैं उनमें अधिसूचना संख्या एवं दिनांक अंकित आदि करते हुए अन्य सूचना निम्नवत् अंकित किये जायेगे–

अनुसूची–1 ग्राम पंचायत जो पूर्णरूप से नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं।

1. कॉलम 1 में क्रमांक तथा कॉलम 2 में संबंधित पंचायत का नाम अंकित किया जायेगा।
2. पंचायत के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र जो नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं उस पंचायत के वार्ड संख्या (......से .....तक) को कॉलम 3 में अंकित किया जाना है।
3. पंचायत समिति के जो भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र प्रभावित/विलोपित हो रहे है उसके प्रदेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या कॉलम 4 में एवं
4. प्रभावित होने वाले जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या कॉलम 5 में तथा उस जिला परिषद अन्तर्गत जो पंचायत नगर निकाय में सम्मिलित होने के पश्चात शेष ग्राम पंचायत का नाम कॉलम 6 में अंकित किये जायेगे।

अनुसूची–2 ग्राम पंचायत जो आंशिक रूप से नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं किन्तु शेष क्षेत्र के साथ पंचायत अस्तित्व में है।

1. कॉलम 1 में क्रमांक तथा कॉलम 2 में संबंधित पंचायत का नाम अंकित किया जायेगा।
2. पंचायत के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र जो नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं के वार्ड संख्या को कॉलम 3 में अंकित किया जायेगा तथा आंशिक पंचायत जो नगर निकाय में सम्मिलित नहीं हुए हैं, से संबंधित वार्ड कॉलम 4 में अंकित की जायेगी।
3. जो भी पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र प्रभावित/विलोपित हो रहे हैं, उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र कॉलम 5 में तथा पंचायत समिति अन्तर्गत शेष ग्राम पंचायत प्रा0नि0क्षे0 (वार्ड) को कॉलम 6 में एवं
4. उससे संबंधित जिला परिषद् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या कॉलम 07 में तथा उसे जिला परिषद् अन्तर्गत जो पंचायत नगर निकाय में सम्मिलित होने के पश्चात शेष ग्राम पंचायत का नाम कॉलम 07 में अकित किये जायेगे।

अनुसूची–3 ग्राम पंचायत जो आंशिक रूप से नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं तथा उस पंचायत शेष भाग किसी अन्य पंचायत में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप उसका अस्तित्व समाप्त हो गये हैं।

1. कॉलम 1 में क्रमांक तथा कॉलम 2 में संबंधित पंचायत का नाम अंकित किया जायेगा।
2. पंचायत के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र जो नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं, से संबंधित वार्ड कॉलम 3 में तथा आंशिक पंचायत के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र जो नगर निकाय में सम्मिलित नहीं हुए है के वार्ड संख्या को कॉलम 4 में अंकित की जायेगी।
3. आंशिक पंचायत जो अन्य पंचायत में सम्मिलित हुए हैं का नाम कॉलम 5 में आंशिक पंचायत के वार्ड संख्या (.......से .....तक) को कॉलम 6 में तथा संबंधित पंचायत जिसमें आंशिक क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है उसका वार्ड तथा आंशिक पंचायत वाले वार्ड सहित कुल वार्ड कॉलम 7 में अंकित किये जायेगे।

4. पंचायत समिति के जो भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र प्रभावित/विलोपित हो रहे हैं, उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र कॉलम 8 में एवं आंशिक पंचायत सम्मिलित होने के फलस्वरूप संबंधित पंचायत समिति अन्तर्गत प्रा0नि0क्षे0 (वार्डो) को कॉलम 09 में अंकित किये जायेगे।
5. उससे संबंधित जिला परिषद् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या कॉलम 10 में तथा उसे जिला परिषद् अन्तर्गत जो पंचायत नगर निकाय में सम्मिलित होने के पश्चात शेष ग्राम पंचायत का नाम कॉलम 11 में अकित किये जायेगे।

उक्त सभी प्रविष्टि आयोग के वेबसाईट पर जिला के लॉगिन के माध्यम से किया जायेगा तथा प्रविष्टि के पश्चात प्रतिवेदन निकालकर जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षरोपरान्त अग्रसारण पत्र के साथ वेबसाईट पर अपलोड करते हुए आयोग को संसूचित किया जाएगा।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पंचायतों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग द्वारा निम्नवत् दिशा–निर्देश संसूचित किया जाता है:–

1. ग्राम पंचायतों के नगर निकाय में आंशिक विलय एवं ग्राम पंचायत का मुख्यालय ग्राम नगर निकाय में सम्मिलित होने की स्थिति में पुनर्गठित ग्राम पंचायत का के मुख्यालय ग्राम का निर्धारण एवं नामकरण पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–758 दिनांक–03.02.2021 में दिये गए निर्देश के अनुसार किया जाएगा।
2. वैसी स्थिति जिसमें ग्राम पंचायत के अवशिष्ट भाग किसी अन्य ग्राम पंचायत में सम्मिलित हुए हैं उनका संख्याकन उस ग्राम पंचायत के जिस ग्राम पंचायत में अवशेष भाग को सम्मिलित किया गया है, के अंतिम वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र का संख्याकन के बाद किया जायेगा एवं कोष्टक में पूर्व की संख्या एवं पंचायत का नाम भी अंकित किया जायेगा।
3. नगर निकाय में सम्मिलित क्षेत्रों के अतिरिक्त आंशिक रूप से बचे हुए वार्ड यथास्थिति अस्तित्व में बने रहेंगे एवं उनका संख्याकन पूर्ववत रहेगा।
4. ग्राम पंचायतों के नगर निकाय में पूर्ण या आंशिक विलय के पश्चात शेष बचे हुए भाग के साथ जिला परिषद् क्षेत्र एवं पंचायत समिति क्षेत्र यथास्थिति अस्तित्व में बनी रहेगी।
5. ग्राम पंचायत जो आंशिक रूप से नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं किन्तु पंचायत शेष के साथ अस्तित्व में है उस स्थिति में जिला परिषद क्षेत्र एवं पंचायत समिति क्षेत्र यथास्थिति अपने अस्तित्व में बनी रहेगी।
6. ग्राम पंचायत जो आंशिक रूप से निगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं एवं शेष बचे हुए भाग जिसे समीपवर्त्ती ग्राम पंचायत में सम्मिलित किया जाना है, वैसी स्थिति में भी पूर्व पंचायत समिति क्षेत्र यथास्थिति विर्निदिष्ट ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत अपने अस्तित्व में बनी रहेगी।
7. बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम–5 में प्रावधान है कि पंचायत समिति का प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्दिष्ट ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत आता है अर्थात पंचायत समिति का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर है और इसे अलग नहीं किया जा सकता है।
8. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 34 की उपधारा 1 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक प्रखंड के लिए पंचायत समिति का गठन किया जाता है और पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का नामकरण प्रखंड के नाम पर बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम–7 में उल्लेखित रीति से कर्णांकित किया जाएगा, जैसे बख्तियारपुर प्रखड पंचायत समिति प्रा0नि0क्षे0सं0–01।
9. ग्राम पंचायत क्षेत्रों का नगर निकाय में सम्मिलित होने के पश्चात ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के क्षेत्रों में हुए परिवर्तन को बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के

नियम–8 के आलोक में विनिर्दिष्ट संबंधित कार्यालयों में प्रकाशित की जाएगी एवं विहित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

संलग्न सूची के अलावे यदि अन्य नगर निकाय नवगठित/उत्क्रमित/क्षेत्र विस्तार करते हुए अधिसूचित किये गए हों तथा उन नगर निकाय अन्तर्गत सम्मिलित किये गए पंचायतों के पुनर्गठन का कार्य नहीं किया जा सका हो तो उपरोक्त वर्णित निर्देशों के अनुपालन के साथ पंचायतों का पुनर्गठन का कार्य भी निर्धारित समय–सीमा में संपन्न कराया जाएगा।

उपरोक्त वर्णित कार्य अन्तर्गत अनुसूची–1, अनुसूची–2 एवं अनुसूचि–3 में प्रतिवेदन तैयार किये जाने के उपरांत आयोग के वेबसाईट पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपलोड भी किया जाना है। उक्त कार्य हेतु यूजर मैन्यूअल अलग से प्रेषित की जाएगी एवं आयोग स्तर से तत्संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

पंचायत पुनर्गठन हेतु समय सारणी

1. जिलों द्वारा पंचायत का पुनर्गठन करते हुए प्रारूप का प्रकाशन–12.01.2026
2. दावा/आपत्ति प्राप्त किये जाने की अवधिः– दिनांक–12.01.2026 से 27.01.2025 तक
3. दावा/आपत्ति का निष्पादन उपरांत गजट का प्रकाशनः– दिनांक–31.01.2026 तक

कार्य की महत्ता को देखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने स्तर से कार्य अनुश्रवण करेगें ताकि ससमय कार्य पूरा हो जाए। इस कार्य हेतु जिला पंचायत राज पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

03/01/26

सचिव,

ज्ञापांक–पं0नि0–30–110/2021....58 दिनांकः–3/1/2026

प्रतिलिपिः– श्री नीतिश कुमार, आई0टी0 मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग को वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

03/01/26

सचिव

ज्ञापांक–पं0नि0–30–110/2021....58 दिनांकः–3/1/2026

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार (बक्सर, नालन्दा, शिवहर, पश्चिम चम्पारण, सहरसा, नवादा, जमुई, लखीसराय, दरभंगा, मुंगेर, मधुबनी, पटना, सारण, औरंगाबाद, पुर्वी चम्पारण एवं सिवान को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि संलग्न सूची के अलावे यदि अन्य नगर निकाय नवगठित/उत्क्रमित/क्षेत्र विस्तार करते हुए अधिसूचित किये गए हों तथा उन नगर निकाय अन्तर्गत सम्मिलित किये गए पंचायतों के पुनर्गठन का कार्य नहीं किया जा सका हो तो उपरोक्त वर्णित निर्देशों के अनुपालन के साथ पंचायतों का पुनर्गठन का कार्य भी निर्धारित समय–सीमा में संपन्न कराया जाएगा।

03/01/26

सचिव

ज्ञापांक–पं0नि0–30–110 / 2021....58....... दिनांकः–...3/1/2026

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/01/26

सचिव

ज्ञापांक–पं0नि0–30–110 / 2021....58....... दिनांकः–...3/1/2026

प्रतिलिपिः– सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/1/26

सचिव

नगर निकायों की सूची जिनके गठन के उपरांत पंचायत पुनर्गठन का कार्य किया जाना शेष है।

क्र0	जिला का नाम	नगर निकाय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	5
1	बक्सर	नगर पंचायत, ईटाढ़ी	
2	नालन्दा	नगर परिषद, राजगीर	
		नगर परिषद, इस्लामपुर	
3	शिवहर	नगर परिषद, शिवहर	
4	पश्चिमी चम्पारण	नगर पंचायत, मच्छरगावाँ	
5	सहरसा	नगर निगम, सहरसा	
6	नवादा	नगर परिषद, हिसुआ	
7	जमुई	नगर परिषद, झाझा	
8	लखीसराय	नगर परिषद, बड़हिया	
9	दरभंगा	नगर पंचायत, कमतौल अहियारी	
		नगर परिषद, जाले	
		नगर पंचायत, घनश्यामपुर	
10	मुंगेर	नगर पंचायत, संग्रामपुर	
		नगर पंचायत, असरगंज	
11	मधुबनी	नगर परिषद, झंझारपुर	
12	पटना	नगर परिषद, दानापुर निजामत	
		नगर परिषद, फुलवारीशरीफ	
		नगर परिषद, खगौल	
13	सारण	नगर परिषद, सोनपुर	
14	औरंगाबाद	नगर पंचायत, जम्होर	
		नगर पंचायत, मदनपुर	
15	पुर्वी चम्पारण	नगर पंचायत, मधुवन	
16	सिवान	नगर पंचायत, महाराजगंज	

अनुसूची–1

नवगठित/उत्क्रमित/क्षेत्र विस्तार हुये नगर निकायों के फलस्वरूप पंचायतों की स्थिति

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार का अधिसूचना संख्या........................दिनांक.......................

जिला का नाम　　　　　　　　　　प्रखंड का नाम　　　　　　　　　　नगर निकाय का नाम

ग्राम पंचायत जो पूर्ण रूप से नगर निकाय में सम्मिलित हुए है, से संबंधित विवरणी :–

क्रमांक	पंचायत का नाम	पंचायत के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र जो नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं	प्रभावित हुए पंचायत समिति के प्रा.नि.क्षेत्र संख्या	जिला परिषद प्रा.नि.क्षेत्र पर प्रभाव		अभ्युक्ति
		वार्ड संख्या ....से.............तक		जिला परिषद प्रा.नि.क्षेत्र संख्या	शेष पंचायतों का नाम	
1	2	3	4	5	6	7

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह– जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर
जिला का नाम

अनुसूची–2

नवगठित/उत्क्रमित/क्षेत्र विस्तार हुये नगर निकायों के फलस्वरूप पंचायतों की स्थिति

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार का अधिसूचना संख्या.........................दिनांक.......................

जिला का नाम　　　　　　　　　　प्रखंड का नाम　　　　　　　　　　नगर निकाय का नाम

ग्राम पंचायत जो आंशिक रूप से नगर निकाय में सम्मिलित हुये हैं, किन्तु पंचायत शेष क्षेत्र के साथ अस्तित्व में है, से संबंधित विवरणी :–

क्रमांक	पंचायत का नाम	पंचायत के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र जो नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं	आंशिक पंचायत के अन्तर्गत पड़ने वाले शेष क्षेत्र जो नगर निकाय में सम्मिलित नहीं हुए हैं	पंचायत समिति प्रा.नि.क्षेत्र पर प्रभाव एवं वर्तमान स्थिति		जिला परिषद प्रा.नि.क्षेत्र पर प्रभाव एवं वर्तमान स्थिति		अभ्युक्ति
		वार्ड संख्या	वार्ड संख्या	पंचायत समिति प्रा.नि. क्षेत्र संख्या	पंचायत समिति अन्तर्गत शेष ग्राम पंचायत प्रा.नि. क्षेत्र(वार्ड)	जिला परिषद प्रा.नि.क्षेत्र संख्या	शेष पंचायतों का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह– जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर
जिला का नाम

अनुसूची–3

नवगठित / उत्क्रमित / क्षेत्र विस्तार हुये नगर निकायों के फलस्वरूप पंचायतों की स्थिति

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार का अधिसूचना संख्या.........................दिनांक.........................

जिला का नाम प्रखंड का नाम नगर निकाय का नाम

ग्राम पंचायत जो आंशिक रूप से नगर निकाय में सम्मिलित हुये हैं तथा उस पंचायत के शेष भाग किसी अन्य पंचायत में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप उसका अस्तित्व समाप्त हो गये हैं, से संबंधित विवरणी :–

क्रमांक	पंचायत का नाम	पंचायत के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र जो नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं	आंशिक पंचायत के अन्तर्गत पड़ने वाले शेष क्षेत्र जो नगर निकाय में सम्मिलित नहीं हुए हैं	आंशिक पंचायत जो अन्य पंचायत में सम्मिलित हुआ है, उस पंचायत की विवरणी			पंचायत समिति प्रा.नि. क्षेत्र पर प्रभाव एवं वर्तमान स्थिति		जिला परिषद प्रा.नि. क्षेत्र पर प्रभाव एवं वर्तमान स्थिति		अभ्युक्ति
		वार्ड संख्या	वार्ड संख्या	पंचायत का नाम जिन में सम्मिलित हुए है	वार्ड संख्या....... ....से ....तक	आंशिक पंचायत सम्मिलित होने के कारण कुल वार्डों की संख्या	पंचायत समिति प्रा.नि. क्षेत्र संख्या	आंशिक पंचायत सम्मिलित होने के फलस्वरूप पंचायत समिति अन्तर्गत. कुल ग्राम पंचायत प्रा. नि.क्षेत्र(वार्ड)	जिला परिषद प्रा.नि. क्षेत्र संख्या	कुल पंचायतों का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह– जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर
जिला का नाम

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

संकल्प

संचिका सं०–8प/वि–5–19/2020/पं०रा०/758.../ पटना,दिनांक— 03/2/2021

विषय :– ग्राम पंचायतों के कुछ क्षेत्रों को नगर निकायों में सम्मिलित कर लिए जाने के फलस्वरूप अवशिष्ट ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 1991 की जनगणना के आधार पर 3000 या उससे अधिक रहने पर उन्हें यथावत रखने एवं 3000 से कम रहने पर समीपवर्ती ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायतों में सम्मिलित कर उनके पुनर्गठन तथा नामकरण के संबंध में।

राज्य की कई ग्राम पंचायतों के कुछ अंश को नगर निकाय में सम्मिलित कर लिए जाने के फलस्वरूप उक्त ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की आवश्यकता हो गयी है।

2. ग्राम पंचायतों के गठन/पुनर्गठन एवं उसकी वैधिकता/औचित्य के बिन्दु पर बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 11 के उप नियम (1) एवं (2) में प्रावधान किए गए हैं। पंचायती राज विभाग के वैधानिक आदेश संख्या–5608 दिनांक–15.10.1993 में ग्राम पंचायतों के गठन/पुनर्गठन एवं नामकरण के संबंध में विस्तृत प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 11 के अधीन राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्रों को आंशिक रूप से नगर निकाय क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप संबंधित ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की कार्रवाई निम्नरूपेण की जाएगी :–

(1) जिन ग्राम पंचायत क्षेत्रों की आबादी 1991 की जनगणना के आधार पर 3000 या उससे अधिक रह जाएगी और उनका मुख्यालय ग्राम, ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही बचा होगा, तो अवशिष्ट ग्राम पंचायत क्षेत्र को पूर्व नाम के साथ ग्राम पंचायत के रूप में बने रहने दिया जाएगा। अगर नगर निकाय क्षेत्र में उक्त ग्राम पंचायत का मुख्यालय ग्राम भी समाहित हो गया है, तो पुनर्गठित ग्राम पंचायत के लिए मुख्यालय ग्राम का निर्धारण एवं उक्त ग्राम पंचायत क्षेत्र का नामकरण वैधानिक आदेश संख्या–5608 दिनांक–15.10.1993 के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।

(2) जहाँ नगर निकाय में सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1991 की जनगणना के आधार पर 3000 से कम रह जाएगी, वहाँ उस क्षेत्र को समीपवर्ती ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायतों में शामिल कर पूर्व ग्राम पंचायत का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाएगा तथा आवश्यकता होने पर समीपवर्ती ग्राम पंचायत का पुनर्गठन/नामकरण वैधानिक आदेश संख्या–5608 दिनांक–15.10.1993 के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।

4. पुनर्गठन के फलस्वरूप ग्राम पंचायत एवं इसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण में किसी संभावित परिवर्तन के संबंध में राज्य सरकार विधि विभाग के परामर्श से अलग से निर्देश जारी कर सकेगी।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये।

3.2.21

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव

81

ज्ञापांक :–8प / वि–5–19 / 2020 / पं०रा० / 758 / पटना, दिनांक–03 / 2 /

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की एक सौ (100) प्रतियाँ पचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा करें।

3.2.21

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :–8प / वि–5–19 / 2020 / पं०रा० / 758 / पटना, दिनांक– 03 / 2 / 2021

प्रतिलिपि :–मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी / सभी प्राचार्य, जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान / सभी प्राचार्य, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान / सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति / सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम / सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद तथा नगर पंचायत को सूचनार्थ अग्रसारित।

3.2.21

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :–8प / वि–5–19 / 2020 / पं०रा० / 758 / पटना, दिनांक– 03 / 2 / 2021

प्रतिलिपि :–सचिव, बिहार विधान परिषद् / सचिव, बिहार विधान सभा / मुख्यमंत्री सचिवालय / निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / महाधिवक्ता, बिहार, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

3.2.21

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :–8प / वि–5–19 / 2020 / पं०रा० / 758 / पटना, दिनांक– 03 / 2 / 2021

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

3.2.21

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :–8प / वि–5–19 / 2020 / पं०रा० / 758 / पटना, दिनांक–03 / 2 / 2021

प्रतिलिपि :–आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट www.biharprd.bih.nic.in पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।

3.2.21

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव

अधिसूचना

वैधानिक आदेश- 75/प- 109/93-5608 पं० रा० दिनांक 15.10.1993- बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 (अधिनियम 19,1993) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल ग्राम पंचायत क्षेत्र की घोषणा के निमित्त निम्नलिखित आदेश देते हैं:---

आदेश

1. राज्य निर्वाचन आयुक्त के सामान्य अथवा विशेष आदेश, निदेश एवं अनुदेश के अन्तर्गत जिला दंडाधिकारी प्रत्येक प्रखण्ड में अवस्थित ग्रामों के लिये ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित करेगा।

2. ग्राम पंचायत क्षेत्र का निर्धारण प्रखण्ड के उत्तर-पश्चिम से प्रारम्भ होकर दक्षिण-पूर्व में समाप्त होगा।

3. किसी ग्राम को विभक्त नहीं किया जायगा जबतक कि उसमें दो या उससे अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित करना आवश्यक नहीं हो।

4. एक से अधिक ग्रामों को समाविष्ट कर घोषित ग्राम पंचायत क्षेत्र का मुख्यालय उक्त क्षेत्र में समाविष्ट अधिसंख्यक जनसंख्या के ग्राम में होगा।

5. परन्तु यदि उक्त क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की संख्या उक्त क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक हो तो उसका मुख्यालय वह ग्राम होगा जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की संख्या (का अनुपात) सबसे अधिक हो।

6. ग्राम पंचायत क्षेत्र का नाम उस ग्राम के नाम से घोषित किया जायेगा जिस ग्राम में ग्राम पंचायत का मुख्यालय अवस्थित होगा, परन्तु जहाँ एक ग्राम में एक से अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित करना आवश्यक हो वहाँ संबंधित क्षेत्र की अवस्थिति की दिशा के साथ उसी ग्राम के नाम से घोषित किया जायेगा।

7. ग्राम पंचायत क्षेत्र के निर्धारण का प्रारूप प्रपत्र -1 में ग्राम पंचायत, संबंधित प्रखण्ड कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर चिपका कर प्रकाशित किया जायेगा।

8. प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर प्राप्त सुझाव/ आपत्ति पर सम्यक विचार कर जिला दंडाधिकारी ग्राम पंचायत क्षेत्र का निर्धारण करेगा।

9. निर्धारित ग्राम पंचायत क्षेत्र की घोषणा जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रपत्र -2 में जिला गजट में प्रकाशित की जायेगी।

---

1. बिहार अधिनियम 2, 1994 द्वारा अन्तः स्थापित।
2. अन्तः स्थापित तदैव।